FORM No III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

दिनेश शर्मा बनाम बिशन सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा अर्न्तगत धारा 53,188 आरटीए मु0न0 25/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.05.2018	वादी द्वारा वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 **आरटीए** का जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया। वादी अभिभाषक को वाद पत्र पर सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 21.06.2018 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर	
21/6/18	प्रतिवादी आज केस न्याय आपके बार, हाजिर के बजाय ग्राम पंचायत से पेश की वादी स्वयं उपस्थित वादी के बयां प्रार्थना पत्र वास्ते वाद फिरी किये जाने का पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से समझौता कराया गया है इस कारण वादी वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं वाद को आपसी फिरी करना चाहते हैं इसी वादी स्वयं वाद को समझौता के आधार से चलाना नहीं चाहते हैं वादी ने अपने कथन के समर्थन में दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये जिसे सरपंच ग्राम पंचायत चाचियावास के मय पदनाम पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद समझौते के आधार से फिरी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं फाइल कलमबंद की जाती है फाइल कलमबंद करें अध्यक्ष लोक अदालत एवं सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर	सरपंच ग्राम पंचायत चाचियावास पं.स. श्रीनगर (अजमेर)